न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम कासोरिया तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–72/2011

अनवान

1 श्रीमति देउ पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी बालापुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 श्रीमति छोटी पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

3 श्रीमति हीरा पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

4 श्रीमति अलोल पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

5 श्रीमति ऐजी पत्नि स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

6 पांचुलाल पिता स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी बालापुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

..... वादीगण

बनाम

1 रामदेव पिता गंगाराम गुर्जर उम्र वयस्क हाल निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा.राज

2 श्रीमति बिल्लु पत्नि स्व.गंगाराम गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

3 श्रीमति बाली पुत्री स्व. गंगाराम गुर्जर पत्नि दुदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी डाबला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

4 श्रीमति लाली पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी रेबारियों की ढाणी, खामोर तहसील शाहपुरा जिला–भीलवाडा

5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– वादीगण स्वंय ..... मय वकील वादीगण
पेरोकार सरकार.....विपक्षी संख्या 05

दिनांक – 18.05.2018

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–92क–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम जासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 1160, 1161, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1214, 1250, 1251, 1254 कुल किता 11 कुल रकबा 20–03 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में समस्त वादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 समस्त का 1/7 हक आधिपत्य निर्धारित करते हुए, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम कासोरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम कासोरिया तहसील बनेड़ा

सीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–72 / 2011

अनवान

1 श्रीमति देउ पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी बालापुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 श्रीमति छोटी पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 श्रीमति हीरा पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 श्रीमति अलोल पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 श्रीमति ऐजी पत्नि स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 पांचुलाल पिता स्व. श्रीकिशन गुर्जर पत्नि श्रवणलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी बालापुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

..... **वादीगण**

बनाम

1 रामदेव पिता गंगाराम गुर्जर उम्र वयस्क हाल निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा.राज
2 श्रीमति बिल्लु पत्नि स्व.गंगाराम गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 श्रीमति बाली पुत्री स्व. गंगाराम गुर्जर पत्नि दुदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी डाबला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 श्रीमति लाली पुत्री स्व. श्रीकिशन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जासोरिया हाल निवासी रेबारियों की ढाणी, खामोर तहसील शाहपुरा जिला–भीलवाडा
5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... **प्रतिवादी**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– वादीगण स्वंय ..... मय वकील वादीगण
पेरोकार सरकार.....विपक्षी संख्या 05

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.05.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 एक ही परिवार के सदस्य है जो श्रीकिशन पुत्री हरलाल गुर्जर के वारिस है। वादपत्र में वर्णित

जिसके अनुसार हरलाल के दो पुत्र हरलाल व श्रीकिशन थे। श्रीकिशन के वारिस वादीगण एंव प्रतिवादीगण है प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 श्रीकिशन के पौत्र व पौत्री स्व. गंगाराम के पुत्र व पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 02 श्रीकिशन की पुत्रवधु स्व.गंगाराम की पत्नि है। श्रीकिशन की मृत्यु के पश्चात श्रीकिशन के विधिक वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पिता एंव पति गंगाराम थे। तथा हरदेव की मृत्यु के बाद हरदेव की वारिस उनकी धर्मपत्नि जेती गुर्जर थी। हरदेव गुर्जर की धर्मपत्नि जेती की भी मृत्यु हो चुकि है। स्व. हरलाल के समय की आराजीयात ग्राम जासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 1160, 1161, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1214, 1250, 1251, 1254 कुल किता 11 कुल रकबा 20–03 बीघा स्थित है। उक्त आराजीयात हरलाल के समय चली आ रही वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर हरलाल की मृत्युपरांन्त विरासत से नामान्तरकरण हरलाल के दो पुत्री हरदेव व श्रीकिशन के नाम पर खुला, उक्त आराजीयात में हरदेव का 1/2 व श्रीकिशन का 1/2 हक हिस्सा निहित है। श्रीकिशन की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण गंगाराम व पांचुलाल के नाम पर खुला तथा हरदेव की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण श्रीमति जेती के नाम पर खुला। श्रीकिशन की मृत्यु के बाद खुले नामांन्तरक़रण में वादीगण संख्या 01 से 05 का नाम दर्ज नही किया गया जबकि वादीगण संख्या 01 से 05 मृताक श्रीकिशन के प्रथम श्रैणी की वारिसान है, जिससे विवादित आराजीयात में वादीगण संख्या 01 से 05 का भी हक हिस्सा एंव आधिपत्य निहित है। परन्तु गंगाराम ने राजस्व कर्मचारीयों के मिलिभगत कर केवल मात्र गंगाराम व पांचुलाल के नाम पर ही विरासत से नामान्तरकरण खुलवा लिया जबकि स्वंम गंगाराम गुर्जर ही अपने ससुराल ग्राम खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा गौद गया हुआ है। किन्तु फिर भी स्व.गंगाराम गुर्जर के विधिक वारिसानों का नाम स्व. श्रीकिशन की विरासत के आधार पर दर्ज किया हुआ है, जो कि विधि विरूद्ध है। इस प्रकार वादीगण संख्या 01 से 05 श्रीकिशन के हिस्से में से प्रथम श्रैणी के वारिस होने से पांचुलाल के समान ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। श्रीकिशन की मृत्यु के काफी वर्षो बाद हरदेव की पत्नि श्रीमति जेती की मृत्यु हुई श्रीमति जैती की सेवा सुश्रुषा वादी संख्या 06 पांचुलाल ने की तथा उनका अन्ति क्रियाक्रम व काज किर्यावर भी पांचुलाल ने ही किया। जिससे हरदेव के 1/2 हिस्से क आराजीयात हरदेव की मृत्यु के पश्चात जैती को मिला एंव जैती की मृत्यु के बा उसका हक हिस्सा पांचुलाल को मिला जिससे श्री पांचुलाल का 1/14 हिस्सा श्रीकिश के हिस्से में से व 1/2 हिस्सा जैती के हिस्से यानि 1/14 मिलाकर 8/14 हिस्सा

बनता है। अतः उपरोक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी होने से एंव श्रीकिशन के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से वादीगण प्रत्येक का 1/14 व प्रतिवादीगण का 1/14 हक हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 06 पांचुलाल को 1/2 हिस्सा श्रीमति जैती से मिला है, जिससे पांचुलाल का उक्त आराजीयात में 8/14 हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण संख्या 01 लगायत 05 प्रत्येक को 1/14 हक हिस्से एंव वादीगण संख्या 06 को 8/14 हक हिस्से का उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावें कि वादीगण के हक हिस्से की आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

2. प्रकरण को दिनांक 04.03.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। सुनवाई दिनांक क्रमशः 13.04.2012, 10.09.2013, 08.02.2018 पर विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम कासोरिया के लिए पंजीबद्ध किया गया। वादीगण की शहादत्त में वादीगण से वक्त केम्प ही जिरह संपादित की जाकर बयान कलमबद्ध किये गये। जिन पर लाल स्याही से क्रमशः पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–3, का तथा वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेखों पर तथा श्री गंगाराम गुर्जर अपने ससुराल में ग्राम खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा गोद गये, जिसकी प्रमाणिकता के तौर पर वादीगण की और से प्रस्तुतशुदा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 स्थित खतौनी संख्या 364 के आराजी संख्या 3218, 3219 पर क्रमशः प्रदर्श का अंकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रकरण को शीघ्र निस्तारण किये जाने की भावना से वादपत्र में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि हरदेव के 1/2 हिस्से की आराजीयात हरदेव की मृत्यु के पश्चात जैती को मिला एंव जैती की मृत्यु के बाद उसका हक हिस्सा पांचुलाल को मिला जिससे श्री पांचुलाल का 1/14 हिस्सा श्रीकिशन के हिस्से में से व 1/2 हिस्सा जैती के हिस्से यानि 1/14 मिलाकर 8/14 हिस्सा बनता है। अतः उपरोक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी होने से एंव श्रीकिशन के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से वादीगण प्रत्येक का 1/14 व.

प्रतिवादीगण का 1/14 हक हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 06 पांचुलाल को 1/2 हिस्सा श्रीमति जैती से मिला है, जिससे पांचुलाल का उक्त आराजीयात में 8/14 हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण संख्या 01 लगायत 05 प्रत्येक को 1/14 हक हिस्से एंव वादीगण संख्या 06 को 8/14 हक हिस्से का उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने कि डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर करनायी जावें। इस प्रकार वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादीगण मय अधिवक्ता नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, वादपत्र के समर्थन में कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र में अंकित बिन्दुओं के अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व आधार अभिलेख रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी होने से एंव श्रीकिशन के प्रथम श्रैणी के वारिस होने से वादीगण संख्या 01 से 05 प्रत्येक का समान हक हिस्सा है निहित है तथा वादीगण संख्या 06 पांचुलाल को 1/2 हिस्सा श्रीमति जैती से मिला है, जिससे पांचुलाल का उक्त आराजीयात में 8/14 हक हिस्सा निहित होना, वादपत्र के जरिये बताया गया है, किन्तु पांचुलाल श्रीमति जैती के यहां बतौर गौदपुत्र रहा, इसके प्रमाणिकरण/पुष्ठिकरण के तौर पर ऐसा कोई ढोस सबूत/साक्ष्य पांचुलाल की और से रेकार्ड पर उपलब्ध नही पाया गया है। वादपत्र से संलग्न समस्त साबिक राजस्व आधार अभिलेखों के अध्ययन/परिक्षण करने के पश्चात भी यह कहीं सिद्ध नही होता है कि पांचुलाल या गंगाराम श्रीमति जैती के यहां बतौर गौदपुत्र रहा। एंव दुसरी तरफ वादीगण के द्वारा शिविर के दौरान दिये गये बयानो में प्रतिवादीगण के पिता/पति श्री गंगाराम गुर्जर को अपने ससुराल ग्राम खामोर तहसील शाहपुरा में गोद जाना बताया गया, जिसके प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 भी वक्त केम्प प्रस्तुत की गई है, जिसमें समस्त प्रतिवादीगण का नाम बतौर सहखातेदार काश्तकार अंकित है। किन्तु यंहा यह भी उल्लेख किया जाता आवश्यक है कि वादीगण द्वारा अपने बयानों से तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत जमाबन्दी से न्यायालय को यह अवगत कराने का प्रयास किया है कि प्रतिवादीगण के पिता/पति श्री गंगाराम गुर्जर अपने ससुराल ग्राम खामोर तह. बनेडा में गोद रहे, जिससे उनका नाम अपने ससुराल से प्राप्त सम्पति में बतौर खातेदार दर्ज हुआ है, किन्तु वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण का नाम विवादित आराजीयात में से विलोपित किये जाने आशय की दाद नही चाही है,

केवल मात्र वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण नाम प्रतिवादीगण के साथ साथ बतौर साहखातेदार दर्ज किये जाने आशय/अनुतोष से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों/परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए वादपत्र को इस प्रकार से स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात में समस्त वादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा निर्धारित करते हुए, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 समस्त का 1/7 हक आधिपत्य रखते हुए, उसी अनुसार अंकन कर, दुरूस्त किया जावें। लिहाजा वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत दस्तावेजात के मेरिट पर परिक्षण से प्रकरण के शीघ्र निस्तारण सिद्धान्त की भावना से प्रेरित होकर न्यायायिक दृष्टी से स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम जासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 1160, 1161, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1214, 1250, 1251, 1254 कुल किता 11 कुल रकबा 20—03 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में समस्त वादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा निर्धारित कर, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 समस्त का 1/7 हक आधिपत्य निर्धारित करते हुए, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम कासोरिया को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा